कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़

OFFICE OF THE STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES (DIVYANGJAN) CHHATTISGARH

क्रमांक / दि.सु. / 2019–20 / 105 दुर्ग दिनांक 19 / 03 / 2020

प्रति,

सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग,
मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

विषयः– **नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में।**

——000——

भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। उक्त स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षात्मक दिशा–निर्देश जारी किये गये है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी कोरोना वायरस से रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध मे निर्देश जारी किये हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25(2) मे प्रावधान है कि

(झ) प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिम की स्थितियों के समय के दौरान स्वास्थ्य देख–रेख;

(ञ) जीवनरक्षक आपात उपचार और प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक चिकित्सीय सुविधाएं; और

अतः उक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाये कि इस संबंध में जारी किये गये समस्त आदेश / निर्देश दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हो। अनुरोध है कि विभाग से निम्नानुसार निर्देश जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें :–

1. श्रवण बाधित दिव्यांगजनों को कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में जानकारी हेतु सांकेतिक भाषा के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाये।
2. दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों को ब्रेल लिपि के माध्यमों से जानकारी प्रदान की जाये।
3. दिव्यांगजनों को चिकित्सालय में निदान एवं उपचार हेतु प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान करें, इस संदर्भ चिकित्सालय के कर्मचारियों को दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता से व्यवहार कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करें।
4. कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु संचालित विभिन्न गतिविधियों में दिव्यांग महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित करें।
5. विभाग एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित आवासीय गृहों में संक्रमणता की रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्राथमिकता पर जांच एवं चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी करें।
6. विभिन्न प्रचार–प्रसार की सामग्री में दिव्यांगजनों की समस्याओं एवं उनकी दिव्यांगता को ध्यान में रखते हुए बचाव के संबंध में जानकारी दिया जाना चाहिए।
7. संक्रमणता से रोकने के लिए बनाए गए विशेष वार्ड दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हो।

क्रमशः 2 पर

कार्यालय –जिला पंचायत परिसर,जीई रोड, दुर्ग (छ.ग.) पिन– 491001 दूरभाष 0788–2325470
ईमेल–commpwd.cg@gmail.com

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य शासन द्वारा वृहद रूप से कार्यवाही की जा रही है। अनुरोध है, कि उक्त कार्यवाही में दिव्यांगजनों हेतु किये गये प्रावधानों के संबंध में उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश करते हुए दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें, ताकि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमणता से इस वर्ग को भी सुरक्षित रखा जा सके।

19/3

प्रसन्ना आर.(भा.प्र.से.)
राज्य आयुक्त
दुर्ग दिनांक 19/03/2020

पृ.क्र./दि.सु./2019–20/106
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव, छ.ग. शासन , समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर को सूचनार्थ।

राज्य आयुक्त